भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3860

उत्तर देने की तारीख: 12.08.2025

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ

3860. श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों की कुल संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है और पिछले पाँच वर्षों के दौरान राजस्थान सहित राज्यवार, वर्षवार और ज़िलेवार कितने छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों से राजस्थान में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का राजस्थान में छात्रवृत्ति से वंचित अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का विचार है और यदि हाँ, तो उक्त छात्रवृत्ति कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

(घ) क्या विगत वर्षों की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि राजस्थान सहित कई राज्यों में लंबित हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार उक्त उद्देश्य के लिए राज्यों को धनराशि आवंटित करने में विलंब कर रही है और यदि हाँ, तो राजस्थान सहित राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देने में विलंब का क्या प्रभाव है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (च): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के माध्यम से केंद्र प्रायोजित 'अनुसूचित जातियों एवं अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना' और अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन करता है। इन योजनाओं के अंतर्गत, छात्रवृत्तियां सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष

लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से जारी की जाती हैं। उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत, छात्रवृत्तियों का केंद्रीय हिस्सा राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा अपने हिस्से का भुगतान करने और राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा भुगतान किए गए आंकड़ों के हिस्से को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर भेजने पर निर्भर करता है।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य सहित जिन लाभार्थियों को केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया, उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **संलग्नक** में संलग्न है। राजस्थान राज्य से संबंधित विवरण में राजस्थान राज्य के सभी जिलों के लाभार्थी भी शामिल हैं, जिनके राज्य के हिस्से के भुगतान का डेटा केंद्रीय हिस्सा जारी करने के लिए केंद्रीय पोर्टल पर भेज दिया गया है।

संलग्नक

अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	वित्त वर्ष 2020-21 लाभार्थियों की संख्या	वित्त वर्ष 2021-22 लाभार्थियों की संख्या	वित्त वर्ष 2022-23 लाभार्थियों की संख्या	वित्त वर्ष 2023-24 लाभार्थियों की संख्या	वित्त वर्ष 2024-25 लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	236337	245595	0	2,21,219	116
2	असम	912	418	0	14	2233
3	बिहार	531536	473106	132127	1,46,660	31087
4	चंडीगढ़	1000	1634	1304	1,097	874
5	छत्तीसगढ	75714	0	0	41,271	21123
6	दमन और दीव	0	51	14	8	11
7	दिल्ली	16500	3771	501	761	903
8	गोवा	200	29	6	0	8
9	गुजरात	56499	270489	77116	2,73,157	201106
10	हरियाणा	0	0	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	15458	16759	0	24,536	9052
12	जम्मू-कश्मीर	891	13359	0	2,584	3923
13	झारखंड	38493	57745	0	0	68230
14	कर्नाटक	323332	271576	200119	2,35,562	278285
14	केरल	59312	61622	42003	11,999	85996
16	मध्य प्रदेश	318631	355000	0	0	368813
17	महाराष्ट्र	0	0	0	0	535
18	मणिपुर	485	571	0	676	731
19	मेघालय	0	0	0	0	1
20	ओडिशा	153073	92329	29047	31,486	80835
21	पुदुचेरी	1527	1349	0	704	674
22	पंजाब	217729	196843	92604	1,03,357	41793
23	राजस्थान	183416	240500	0	1,35,092	41298
24	सिक्किम	118	54	0	8	4
25	तमिलनाडु	278838	341246	104324	3,35,642	521124
26	तेलंगाना	9051	26175	0	0	0
27	त्रिपुरा	4592	10211	4075	2,105	6096
28	उत्तर प्रदेश	362511	320390	373692	3,82,766	299751
29	उत्तराखंड	26990	14368	0	9,940	9916
30	पश्चिम बंगाल	209552	223209	77336	1,68,896	91465
	कुल	**3122697**	**3238399**	**1134268**	**21,29,540**	**2165983**

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	वित्त वर्ष 2020-21 लाभार्थियों की संख्या	वित्त वर्ष 2021-22 लाभार्थियों की संख्या	वित्त वर्ष 2022-23 लाभार्थियों की संख्या	वित्त वर्ष 2023-24 लाभार्थियों की संख्या	वित्त वर्ष 2024-25 लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	409678	243823	238915	195269	303298
2	असम	7942	0	11140	8426	12073
3	बिहार	78181	0	136340	68975	73615
4	चंडीगढ़	1128	899	876	287	1253
5	छतीसगढ	101987	87464	96267	79237	87675
6	दमन और दीव	142	0	98	0	0
7	दिल्ली	20709	0	7531	3,160	4692
8	गोवा	66	0	1	34	58
9	गुजरात	145413	97697	113531	1,79,116	157584
10	हरियाणा	68183	0	87913	70,464	55444
11	हिमाचल प्रदेश	16445	0	21502	23,959	33149
12	जम्मू-कश्मीर	9856	100	10097	7,370	6567
13	झारखंड	30608	7805	33922	44,610	57784
14	कर्नाटक	318389	131448	458548	4,03,965	404008
14	केरल	125898	90866	42521	1,55,319	147531
16	मध्य प्रदेश	475993	48270	445319	3,46,289	636303
17	महाराष्ट्र	391778	68576	148573	7,49,317	362808
18	मणिपुर	6096	0	8988	2,125	7938
19	मेघालय	0	0	0	0	25
20	ओडिशा	173264	75530	299369	1,43,861	191873
21	पुदुचेरी	4303	0	3904	2,564	2694
22	पंजाब	176482	152157	40708	1,99,508	294284
23	राजस्थान	365604	217176	303252	1,51,922	229002
24	सिक्किम	351	0	448	216	172
25	तमिलनाडु	654131	441672	543772	6,43,761	934793
26	तेलंगाना	223613	0	0	0	0
27	त्रिपुरा	14721	0	22278	16,858	19849
28	उत्तर प्रदेश	802648	868554	1269634	9,49,934	644827
29	उत्तराखंड	30530	0	27735	23,804	26216
30	पश्चिम बंगाल	361943	493099	273953	2,68,228	108693
	कुल	**5016082**	**3025136**	**4647135**	**4738578**	**4804208**

*****